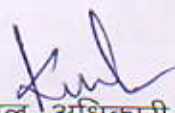


9

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गम्हरिया। आदेश फलक

विविध वाद अभिलेख सं०:-०४...../2024-25

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद में टिप्पणी तारीख एवं दस्तखत
1	2	3
7.12.24	अभिलेख का संधारण भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला के पत्रांक- 314/रा० दिनांक- 12.07.2024 के आलोक में किया गया। आवेदक ब्रज बंश कुमार सिंह यादव एवं श्री चन्द्र बंश कुमार सिंह यादव पिता- हरदेव सिंह यादव सा०- शस्त्री नगर कदमा थाना- कदमा के द्वारा बिक्री केवाला 1044 दिनांक- 29.03.1988 के आलोक में नामांतरण मुकदमा सं०- 352/93-94 के द्वारा स्वीकृत नामांतरण शुद्धि पत्र में प्लॉट संख्या का संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त है। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक- 23.12.24 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, गम्हरिया।	
23.12.24 28.01.25	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक आवेदक ब्रज बंश कुमार सिंह यादव एवं श्री चन्द्र बंश कुमार सिंह यादव पिता- हरदेव सिंह यादव सा०- शस्त्री नगर कदमा थाना- कदमा के नाम से नामांतरण मुकदमा सं०- 352/93-94 के द्वारा मौजा- दिंदली, थाना नं०- 128, के खाता नं०- नया- 27 पु०- 186 खेसरा नं०- नया 677, पु०- 1480, नया 678, पु०- 1480, नया 683, पु०- 1480, नया 682, पु०- 1480 क्रमशः रकवा- 0.01.55 हे०, 0.05.02 हे०, 0.13.50 हे०, 0.01.35 हे० कुल रकवा 0.21.40 हे० अथवा 0.52 एकड़ भूमि नामांतरित है। जिसका बिक्री केवाला 1044 दिनांक- 29.03.1988 है। उक्त के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में संलग्न कागजात (बिक्री केवाला आदि) के आधार पर नामांतरण मुकदमा सं०- 352/93-94 में निर्गत नामांतरण शुद्धि पत्र का संशोधन निम्न प्रकार से किया जाता है:-	

भूमि का विवरण:-

मौजा/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	रैयत का नाम	लगात	अभ्युक्ति
दिंदली/128	N-27	N-677, 678, 682, 683	52 डी०	ब्रज बंश कुमार सिंह यादव एवं श्री चन्द्र बंश कुमार सिंह यादव पिता- हरदेव सिंह यादव	120. 00 अलावे सेस	
	0-186					
	0-40					

अतः उपरोक्त विवरणी के अनुसार नामांतरण मु० सं० ३५२/१३-१४ में संशोधित शुद्धि पत्र निर्गत करें। तदनुसार राजस्व उप निरीक्षक को उपरोक्त संशोधित शुद्धि पत्र के अनुसार मांगपंजी- ॥ में आवश्यक संशोधन करना सुनिश्चित करें।

लेखापित ।


अंचल अधिकारी,
गम्हरिया ।

अंचल अधिकारी,
गम्हरिया।

मंशांश गृह ३ में छ ३ रि ७ रि विरा